कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना – 800001

सं0 एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / दिनांक–

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद, खगड़िया
जिला– खगड़िया

महाशय,

नगर परिषद, खगड़िया के वर्ष 2014–15 से 2016–17 के लेखाओं पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन सं0 708 / 17–18 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस निरीक्षण प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती निरीक्षण प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर परिषद बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया / करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं / विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीय,

–ह0–

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
ए0एम0जी0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0– एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / 14723 / 443 दिनांक– 26.03.2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, खगड़िया

तनवीर हसन 26/3/18
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
ए0एम0जी0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

1358

निरीक्षण प्रतिवेदन सं.– 706 / 17–18

भाग– I

प्रस्तावना

1	निरीक्षित इकाई का नाम	नगर परिषद, खगड़िया
2	परीक्षित लेखा की अवधि	2014–15 से 2016–17
3	लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र	अप्रैल 2014 से मार्च 2017 तक के योजना की रोकड़बही, बैंक पासबुक (उपरोक्त रोकड़बही सम्बन्धित), योजना पंजी (वही), राजस्व वसूली, के लेखाओं की लेखापरीक्षा की गई। इसके अलावा योजनाओं से संबंधित अभिलेखों, सामग्री खरीद के अभिलेखों, अभिश्रव की नमूना जाँच की गई।
4	लेखापरीक्षा की अवधि	01.08.17 से 16.08.17
5	**सभापति**	**कार्य अवधि**
	श्री मनोहर कुमार यादव	09.06.12 से 09.06.17
	श्रीमती सीता कुमारी	09.06.17 से वर्तमान समय तक
	उप सभापति	
	श्री राजकुमार फोगला	09.06.12 से 09.06.17
	श्री सुनील कुमार पटेल	09.06.17 से वर्तमान समय तक
	प्रशासन	**अवधि**
	श्री महेश्वर प्रसाद सिंह	15.06.11 से 10.02.15
	श्री सुधीर कुमार	10.02.15 से 02.09.15
	श्रीमती पुनम कुमारी	02.09.15 से 27.10.16
	श्री सियाराम सिंह	27.10.16 से 05.07.17
	श्री विनोद कुमार	05.07.17 से वर्तमान समय तक
6	लेखापरीक्षा दल के सदस्य	श्री कौशल किशोर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी श्री सुमन कुमार ठाकुर, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी श्री कुमार अग्निवेश, लेखापरीक्षक
7	निरीक्षण अधिकारी का नाम	श्री राकेश कुमार–II, वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
8	पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन अंकेक्षण में उपस्थापित नहीं किया गया, जिसके कारण लंबित कंडिकाओं के निस्तारण की अनुशंसा लेखापरीक्षा दल द्वारा नहीं की जा सकी। कार्यपालिका का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट करते हुए सलाह दी जाती है कि पूर्ववर्ती अंकेक्षण की लंबित कंडिकाओं के अनुपालन हेतु शीघ्र प्रभावी कदम उठाया जाए।
9	अंकेक्षण टिप्पणी	जिन अंकेक्षण आपत्तियों का निस्तारण इकाई के अंकेक्षण के दौरान नहीं हो सका, उन्हें इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।
10	क्या कार्यपालक के साथ आपत्तियों पर चर्चा की गयी	हाँ, दिनांक 16.08.17

दावा अस्वीकरण प्रमाण–पत्र

DISCLAIMER CERTIFICATE

यह निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षित इकाई द्वारा उपलब्ध कराए गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना लेखा परीक्षित इकाई / कार्यालय द्वारा गलत सूचना उपलब्ध कराए जाने हेतु कतई उत्तरदायी नहीं होगा।

357

भाग–II (क)

कंडिका सं0– 01(क) विविध रसीद से प्राप्त की गयी राशि बैंक में जमा नहीं राशि रू 85.45 लाख

As per rule 22(1) of Bihar Municipal Accounting Rules 2014 (B.M.A.R) "All money transaction to which any member, officer or employee of a Municipality in his official capacity is a partly shall without any reservation, be brought to account. All moneys received shall be lodged in a treasury or nationalized bank account to the credit of the Municipality on same day or latest before noon on the following working day. Rule 22(3) of the aforesaid Accounting Rules mentions that No money received on behalf of the Municipality shall be utilized for its expenditure without first being brought into accounts and paid or remitted into treasury or banks.

Rule 29(5) of B.M.A.R 2014 "The chief Municipal officer (Executive officer) shall at least once a week, examine the memorandum of collection so as to satisfy himself that all money received has really been remitted of the treasury/Banks without delay and that the cashier does not retain it in hand without valid reason. He shall initial Memorandum of collection and the cashbooks with all subsidiary forms and registers in which receipts are given and collections recorded with a view to testing whether all sums received are actually accounted".

नगर परिषद, खगड़िया के वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक के लेखाओं की जॉच (अगस्त 2017) में पाया गया कि रोकड़पाल द्वारा नगर परिषद के स्वयं के आय–स्त्रोत की प्राप्ति हेतु विविध रसीद निर्गत की जाती है। विविध रसीद से प्राप्त राशि को रोकड़पाल रोकड़बही में इन्द्राज करके बैंक में राशि जमा की जाती है। Bank deposit slip का प्रेषण लेखापाल को किया जाता है। लेखापाल Bank deposit slip एवं बैंक पासबुक में आय पक्ष में दर्ज राशि का इन्द्राज किया जाता है। अंकेक्षण में विविध रसीद, रोकड़पाल रोकड़बही, लेखापाल रोकड़बही तथा संबंधित बैंक खाता– पंजाब नेशनल बैंक राजेन्द्र चौक, खगड़िया, खाता संख्या– 4931000100053620/कोषागार, खगड़िया खाता के मिलान में पाया कि रोकड़पाल द्वारा विविध रसीद द्वारा अगस्त 2016 से जुलाई 2017 के बीच प्राप्त की गयी राशि रू 8545130 का इन्द्राज रोकड़पाल रोकड़बही मे किया गया लेकिन इसका जमा बैंक खाता/कोषागार पासबुक मे नही पाया गया साथ ही लेखापाल रोकड़बही में भी इसका इन्द्राज नही पाया गया। जिसकी विवरणी संलग्न है। (परिशिष्ट–I)

जवाब में बताया गया कि नहीं जमा राशि रू 85.45 लाख के विरूद्ध रू 29.96 लाख का व्यय कार्यालय मद में सक्षम पदाधिकारी के आदेश के आलोक में किया गया। अधिशेष रू 29.96 लाख को सक्षम पदाधिकारी द्वारा पारित भी किया गया है लेकिन इस व्यय को रोकड़पंजी में दर्शाया नही गया है। अवशेष राशि के संबंध में रोकड़ पाल का कहना है कि अवशेष राशि को किश्तो में जमा कर देगा।

जवाब मान्य नही है क्योंकि बिहार वित्तीय नियमावली के अनुसार वसूल की गयी राशि नगर परिषद कोष में जमा करने के उपरान्त ही निकासी कर व्यय किया जा सकता है। अतः विविध रसीद से प्राप्त की गयी राशि रू 85.45 लाख शीघ्रातिशीघ्र वसूल कर नगर परिषद कोष में जमा करवाया जाय। साथ ही रोकड़पाल एवं संबंधित कार्यपालक पदाधिकारी के विरूद्ध नियमानुकूल विभागीय कार्रवाई की जाये।

(ख) रसीद द्वारा वसूल की गयी राशि नगर परिषद कोष में जमा नहीं राशि रू 1.44 लाख

नगर परिषद खगड़िया के वित्तीय वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक नगर परिषद सम्पत्ति कर एवं विविध रसीद का रोकड़पाल रोकड़ बही एवं संबंधित बैंक खाता पंजी नेशनल बैंक राजेन्द्र चौक खगड़िया, खाता संख्या 4931000100053620/कोषागार खगड़िया, के मिलान के क्रम मे पाया गया कि निम्न रसीद से प्राप्त की गयी राशि नगर परिषद कोष में जमा नहीं किया गया था जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है:–

क0सं0	रसीद	रसीद सं0	दिनांक	वसूल की गयी राशि	जमा राशि	कम जमा राशि	वसूलीकर्ता का नाम
01	विविध	6701 से 6742	—	20100	0	20100	राजीव रंजन, सफाई निरीक्षक
02	विविध	8101 से 8155	—	7150	0	7150	श्री विक्की कुमार, सहायक
03	विज्ञापन रसीद	101--150	26.09.13 से 20.11.14	55099	44807	10292	रोशन कुमार
04	विज्ञापन रसीद	251--300	02.02.15 से 25.10.16	64365	58771	5549	रोशन कुमार
05	विज्ञान रसीद	301—308	07.11.16 से 02.03.17	18923	0	18923	रोशन कुमार
06	होल्डिंग रसीद	43901 से 43955	08.10.16 से 07.03.17	80951	0	80951	अमरेन्द्र कुमार
07	होल्डिंग रसीद	11292 से 11300	08.10.16 से 07.03.17	1621	0	1621	मणिभुषण सिंह
						144586	

रसीद से वसूली गयी राशि रू 144586 नगर परिषद कोष में जमा नहीं की गयी थी।
जवाब में बताया गया कि राशि की वसूली कर नगर परिषद कोष में जमा करवा लिया जायेगा। अतः इस संबंध में की गयी कार्रवाई से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराया जाय।

भाग—II (ख)

कडिका सं0—02 निधि का अवरोधन (रू 54.26 लाख)
बिहार वित्तीय नियमावली खंड—1 के नियम 343 के अनुसार अनुदान की कोई राशि जिसका अंततः निहित उद्देश्य पर खर्च करने की जरुरत न हो, सरकार को यथावत लौटा दी जाएगी।

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली 2014 के नियम 09(3) के अनुसार 'अनुदान प्राप्ति की तिथि से 03 वर्ष से अधिक अवधि से बची हुई अनुप्रयुक्त राशि को उनको लौटाया जाएगा जिनसे अनुदान प्राप्त हुआ हो।

नगर परिषद खगड़िया के वर्ष 2014—15 से 2016—17 तक की लेखाओं की जाँच (अगस्त 2017) में पाया गया कि प्रशासनिक भवन की योजना वर्ष 2007—08 में प्रारंभ की गई थी जिसमें प्रथम बार में खगड़िया सहित 24 नगर परिषदों को नगर विकास एवं आवास विभाग सरकार द्वारा प्रशासनिक भवन के निर्माण हेतु स्वीकृत राशि रू 51.721 लाख का 75 प्रतिशत राशि रू 38.790 आवंटित की गई। विभिन्न नगर परिषदो द्वारा वर्ष 2007 के दर पर निर्मित प्राक्कलन के आधार पर कार्य को पूर्ण करने में कठिनाई व्यक्त की गई एवं प्राक्कलन को पुनरीक्षित कर तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई। पुनरीक्षित प्राक्कलन की राशि रू 72.35 लाख निर्धारित की गई एवं विभाग द्वारा 75 प्रतिशत अनुदान के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई एवं राशि को विमुक्ति की गई जिसकी विवरणी इस प्रकार है:—

क्र0सं0	वर्ष	आवंटन अनुदान का मद	राशि	आवंटन आदेश संख्या / तिथि	अभ्युक्ति
01	2006—07	प्रशासनिक भवन	38.79 लाख	1398 / 30.03.07	प्राप्त राशि को पी0एल0खाता में जमा किया गया
02	2012—13	--तथैव--	15.47 लाख	83 / 09.03.13	
			54.26 लाख		

प्रशासनिक भवन का निर्माण किए बगैर अनुदान राशि को लंबी अवधि (03 वर्ष से 09 वर्ष तक) रोककर रखा गया एवं अंततः वर्ष 15—16 में प्राप्त राशि रु 54.26 लाख (चालान संख्या 107 दिनांक 13.03.16

355

विपत्र कोड p 221703 1920101) को मार्च 2016 में सरकार के संबंधित शीर्ष मे जमा करके राशि को वापस की गई। अनुदान राशि को लंबी अवधि तक रोककर रखने से उन उद्देश्यों की प्राप्ति नही हुई जिसके लिए राशि उपलब्ध करवाई गयी थी। इस प्रकार निधि का अवरोधन (रू 54.26 लाख) करके सरकारी नियमों की अवहेलना की गई थी।

जवाब में बताया गया कि भविष्य मे इन बातों पर ध्यान रखा जायेगा।

कंडिका सं0–03 (क) गलत दर दिये जाने के कारण कार्य में अधिक भुगतान (रू 2.99 लाख)

योजना सं0 / 09 / 16–17

योजना का नाम– महावीर स्थान से आरक्षण काउंटर के सामने होते हुए रेलवे स्टेशन के मेनगेट तक सड़क निर्माण।

प्राक्कलन– रू0 4067281

संवेदक का नाम–श्री म्हेश्वर प्रसाद सिंह, हरिनिवास, बापुनगर, बछुआही, खगड़िया

प्रशासनिक स्वीकृति–दिनांक 21.04.16 को हुई बोर्ड की बैठक में अन्यान्य संख्या 13 पर

तकनीकी स्वीकृति– कार्यपालक अभियंता (डूडा) द्वारा दिनांक 02.02.16 को रू. 4270600

मापी पुस्त संख्या– 05 / 16–17

मापी की राशि एवं कार्य में भुगतान– रू 4041065

योजना संचिका, मापी पुस्तिका एवं बी0ओ0क्यू0 की जांच मे पाया गया कि प्राक्कलन में "construction of un-reinforce plain cement concrete का कार्य करने का प्रावधान था जिसके लिए 6775.12 प्रति घनमीटर दर निर्धारित किया गया था। एकरारनामा (आईटम सं0–5) में providing P.C.C. in road embankment (1:1.5:3) का कार्य दर्शाया गया था जबकि संचिका में संलग्न Schedule of rate (S.O.R item B.C.D 4.1.2) में इस कार्य के लिए 5998.47 प्रति घनमीटर दर निर्धारित था। मापी पुस्तिका (p/8) में यह कार्य 385.212 M^3 दर्ज था लेकिन भुगतान रू 385.212 / M^3 के बजाय 6775.12 / M^3 की दर से किया गया।

इस प्रकार गलत दर से कार्य में अधिक भुगतान किया गया जिसकी विवरणी इस प्रकार है:–

कार्य की मात्रा– 385.212 M^3

दर में अन्तर– 777.25 / M^3 (6775.12–5998.47)

अधिक भुगतान–कार्य की मात्रा x दर में अन्तर राशि

=385.212 M^3 x 776.65/ M^3

= रू 299174

उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि गलत दर दिए जाने के कारण कार्य में रू 299174 का अधिक भुगतान किया गया जो संबंधित दोषी व्यक्तियों से वसूलनीय है।

जवाब में बताया गया कि तकनीकी पदाधिकारी से इस संबंध में पूछताछ कर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

(ख) लघु खनिज की ढुलाई में अनियमित भुगतान (रू 15.03 लाख)

बिहार लघु खनिज समनुदान नियमावली 1972 के नियम 40 (10) के अनुसार कार्य में प्रयुक्त किए गए लघु सामग्री की ढुलाई के साक्ष्य के तौर पर संवेदक द्वारा प्रपत्र एम0 एन0 एवं चालान की प्रति संबंधित जिला के जिला खनन पदाधिकारी के पास भेजकर यह सत्यापित करवाया जाएगा कि निर्धारित कोटी से ही लघु खनिज का उठाव किया गया है अथवा नही। ढुलाई मद में किसी प्रकार का भुगतान चालान की सत्यता की जॉच किए बगैर नही की जा सकती है। इससे सरकारी राजस्व को भी क्षति नही होगी तथा लघु खनिज का उठाव वैध क्वेटी से किया जा सकेगा। इसके परिणामस्वरूप अवैध खनन पर भी रोक लगाई जा सकेगी। योजना संचिका की जॉच में पाया गया कि बगैर चालान की सत्यता की जॉच कराए हुए ढुलाई मद में अनियमित रुप से भुगतान किया जाता रहा। विवरणी इस प्रकार है:–

क0सं0	लघु सामग्री का नाम	लघु खनिज की मात्रा	मापी पृष्ठ	ढुलाई दर	अनियमित भुगतान
01	सोन बालू	173.74 M^3 (87.46+85.88)	p/2 & p/7	1207.76/ M^3	209836
02	स्टोन चिप्स	346.69 M^3 (174.93+171.76)	p/2 & p/7	1523.79/ M^3	528283
03	जी0एस0बी	502.558 M^3 (245.308+257.25)	p/2 & p/7	1523.79/ M^3	765793
					1503429

उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि लघु खनिज की ढुलाई में राशि रू 1503912 का अनियमित भुगतान किया गया था।
जवाब में बताया गया कि भविष्य में संवेदक से प्रपत्र एम एवं एन लिया जायेगा।

कंडिका सं0 04–एल.ई.डी.लाईट लाईट क्रय में अनियमितता राशि रू 17.51 लाख

नगर परिषद खगड़िया द्वारा 14वीं वित्त/नगर कोष मद में उपलब्ध राशि से प्रकाश की व्यवस्था से जुड़ी सामग्रियों के क्रय का निर्णय दिनांक 12.12.2015 को आयोजित बोर्ड की साधारण बैठक में पारित प्रस्ताव सं0–05 में निर्णय लिया गया कि एन0एच0–31 सड़क पुल से लेकर बरा स्टैण्ड होते हुए परमानन्दपुर ढाला तक एल0ई.डी पोल सहित 40/60 वाट का एल0ई0डी लाईट लगाये जाने की स्वीकृति दी गई। दिनांक 14.03.16 को दैनिक जागरण एवं प्रभात खबर में इसका प्रकाशन किया गया। जिसमें शर्तो के आधार पर कंपनी अथवा कंपनी द्वारा प्राधिकृत विक्रेता दिनांक 17.03.16 को क्रय समिति के समक्ष खोला गया। जिसकी तकनीकी बीड का तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है:–

आशुतोष अक्षय उर्जा, लखीसराय	मेसर्स चन्दन इन्टरप्राईजेज जयप्रकाश नगर	आस्तु इन्टरप्राईजेज मेन रोड खगड़िया
90 watt 31500 (DPI/crompton) 7 mtr pole	90 watt 45000 HPL	47350 Syska

उपरोक्त दर निविदा में न्यूनतम दर आशुतोष अक्षय उर्जा एजेन्सी लखीसराय द्वारा मो0 31500 प्रति अदद की दर को तुलनात्मक अध्ययन के पश्चात तकनीकी विशिष्टयों एवं न्यूनतम दर के आधार पर स्वीकृत किया गया था। स्वीकृत दर पर 40 अदद दिनांक 03.06.16 एवं 24 अदद 29.03.17 कुल 64 अदद एल0ई0डी लाईट आशुतोष अक्षय उर्जा एजेन्सी, लखीसराय द्वारा अधिष्ठापन किया गया। जिसका भुगतान निम्न प्रकार किया गया था।

	Bill No.01 date 03-06-16 40 LED light	Bill No.02 date 29-03-17 24 LED light
Bill Amount	1260000	756000
5% S.D.	63000	37800
5% Vat	63000	60480
2% I.T.	25200	15120
Payment	1108800	642600
	Cheque No.072272	Cheque No.A-487599

कुल एल0ई0डी0 64 अदद के एवज में राशि रू 1751400 आपूर्ति कर्ता को भुगतान किया गया था।

लेखापरीक्षा टिप्पणी

1. वित्तीय नियमावली के नियम 131 (ज) (V) के अनुसार बोली समर्पित करने की न्यूनतम अवधि प्रकाशन की तिथि से 3 सप्ताह की होनी चाहिए। परिषद कार्यालय द्वारा अखबार में निविदा का प्रकाशन (N.I.T) दिनांक 14.03.16 को करवाकर दिनांक 17.03.16 को निविदा प्राप्ति की तिथि निर्धारित की गयी जो तय 3 सप्ताह से काफी कम था। अतएव निविदा प्रकाशन एवं प्राप्ति के बीच पर्याप्त समय नहीं दिया गया था। जो वित्तीय नियमों का उल्लंघन था।

2. वित्तीय नियमावली के नियम 133 (2) एवं 133 (3) के अनुसार कार्यालय द्वारा सामग्रियों की गुणवता की जांच, उसकी मात्रा अथवा संख्या को भली भाँति गिनकर स्थायी भंडार पंजी में इन्द्राज करके सामग्री का वितरण किया जाना चाहिए था संचिका में किसी तकनीकी पदाधिकारी द्वारा क्रय की गई सामग्री की गुणवत्ता जाँच, संख्या की जाँच संबंधित किसी प्रकार का प्रमाण नहीं था। नियमानुसार भंडार पंजी में सामग्री की मात्रा का उल्लेख करते हुए इन्द्राज किया जाना चाहिए था लेकिन स्थायी भंडार का संधारण परिषद कार्यालय द्वारा नहीं किये जाने के कारण भंडार पंजी में इन्द्राज नहीं किया जा सका। उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि सामग्री के क्रय में वितीय नियमों की अवहेलना की गई थी। कनीय अभियन्ता द्वारा जाँच प्रतिवेदन में तकनीकी विशिष्टयें कम्पनी का नाम, लाईट का वॉट का उल्लेख नहीं किया गया था।

3 बिहार वित्तीय नियमावली 2005 के नियम 126 के अनुसार "Specification in terms of quality, type etc. as also quality of goods to be procured" अर्थात सामग्री का Specification एवं मात्रा को तय

(253)

किए हुए निविदा प्रकाशन करना नियम 126 के तहत लोकहित दक्षता, मितव्ययिता एवं पारदर्शिता के मूलभूत सारांश के खिलाफ है। उक्त निविदा आमंत्रण सूचना में सामग्री का पूरा Specification एवं क्रय की जाने वाली वस्तु की संख्या/मात्रा का उल्लेख नही किया गया था। जो निविदा के प्रतिकूल था।

4. लाईटों को जलाने हेतु विद्युत विभाग से कनेक्शन लिया गया अथवा नहीं इसका उल्लेख नहीं पाया गया।

5. एल0ई0डी0 लाईट नगर परिषद के अधीनस्थ किसी वार्ड में लगाकर जहाँ किसी घर का बसावट नहीं है बल्कि एन0एच0 के साईड में गढा है। यह किसी घर के आस–पास एवं किसी दुकान के पास नहीं लगाया गया था। जिससे नगर परिषद में रहने वाले आम लोगो के लिये सुविधा के लाभ से वंचित रह गया। जिसके कारण एल0ई0डी0 पर किया गया व्यय निष्फल प्रतीत होता है।

6. एन.एच0 के किनारे लगाने से पूर्व अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं लिया गया था।

7. सामग्री की आपूर्ति L.E.D. Light Dudwa power industries 90 Watt द्वारा किया गया था जबकि Central power research institute Banglore द्वारा Test report- 60 watt LED street light दिया गया था।

8. बोर्ड की साधारण बैठक में पारित, अखबार में प्रकाशित किया कोटेशन आमंत्रण एवं आपूर्तिकर्ता द्वारा किया गया एकरारनामा में 40/40 Watt Street light किया गया था जबकि कोटेशन तुलनात्मक विवरणी एवं सामग्री की आपूर्ति 90 Watt Street light किया गया था।

9. Item wise दर उपलब्ध नहीं होने के कारण इसमें भी अधिक/अनियमित भुगतान की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता।

जवाब में बताया गया कि भविष्य में सुझावों का ध्यान रखा जायेगा।

कंडिका सं0–05 हाई मास्ट लाईट अधिष्ठापन में अनियमितता राशि रू 18.30 लाख

नगर परिषद खगड़िया द्वारा 14वीं वित्त/नगर कोष मद में उपलब्ध राशि से प्रकाश की व्यवस्था से जुड़ी सामग्रियों के क्रय का निर्णय दिनांक 12.12.2015 को आयोजित बोर्ड की साधारण बैठक में पारित प्रस्ताव सं0–04 (3) में निर्णय लिया गया कि तीनमुहानी एवं श्मशान घाट अलौड़ी स्थान में हाईमास्क लाईट अधिष्ठापन कराये जाने की स्वीकृति दी गई। दिनांक 14.03.16 को दैनिक जागरण एवं प्रभात खबर में इसकी प्रकाशन की गई। जिसमें शर्तो के आधार पर कंपनी अथवा कंपनी द्वारा प्राधिकृत विक्रेता द्वारा दिनांक 17.03.16 को क्रय समिति के समक्ष खोला गया। जिसकी तकनीकी बीड का तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार है:–

Gayatri Hitech Engineering Pvt. Ltd	Kamna Enterprises, Patna	M/s Chandan Enterprises, Jai Prakash Nagar, Khagaria
16 Mtr. 160 watt, 8 Lamps, Rs 655000 (bajaj)	14/16/18 Mtr, 150/170 watt, 10/12 Lamps, Rs. 610000 (Bajaj)	16 Mtr. 120 Watt, 10 Lamps, Rs. 850470 (Simoco)

उपरोक्त दर निविदा में न्यूनतम दर मेसर्स कामना इन्टरप्राईजेज पटना द्वारा 14/16/18 फीट उँचे बजाज कम्पनी का पोल एवं अधिष्ठापन कार्य सहित 150/170 वाट बजाज कम्पनी का एलईडी लाईट का दर मो0 610000 प्रति अदद की दर को तुलनात्मक अध्ययन के पश्चात तकनीकी विशिष्टताओं एवं न्यूनतम दर के आधार पर स्वीकृत किया गया था। स्वीकृत दर पर 03 अदद दिनांक 22.04.16 को कामना इन्टरप्राईजेज पटना द्वारा आपूर्ति किया गया था। जिसका भुगतान निम्न प्रकार किया गया था।

	Invoice No. & Date: 05-05/11/2016
Bill Amount	1830000 Add Vat @ 15% 47729
Deduction 5% S.D.	91500
Deduction 8% Vat	146400
Deduction 2% I.T.	36600
Payment	1555500
	Cheque No.072297

कुल 03 हाईमास्ट लाईट का अधिष्ठापन 1. तीन मुहानी के पास, 2. अलौड़ी स्थान के पास 3. सीढ़ी घाट के पास किया गया। आपूर्ति के एवज में बिल का कटौती करने के पश्चात आपूर्तिकर्ता को राशि रू0 1555500 भुगतान किया गया था।

लेखापरीक्षा टिप्पणी

1. वित्तीय नियमावली के नियम 131 (ज) (V) के अनुसार बोली समर्पित करने की न्यूनतम अवधि प्रकाशन की तिथि से 3 सप्ताह की होनी चाहिए। परिषद कार्यालय द्वारा अखबार में निविदा का प्रकाशन (N.I.T) दिनांक 14.03.16 को करवाकर दिनांक 17.03.16 को निविदा प्राप्ति की तिथि निर्धारित की गयी जो तय 3 सप्ताह से काफी कम था। अतएव निविदा प्रकाशन एवं प्राप्ति के बीच पर्याप्त समय नही दिया गया था। जो वित्तीय नियमों का उल्लंघन था।

2. वित्तीय नियमावली के नियम 133 (2) एवं 133 (3) के अनुसार कार्यालय द्वारा सामग्रियों की गुणवत्ता की जॉच, उसकी मात्रा अथवा संख्या को भलीभॉति गिनकर स्थायी भंडार पंजी में इन्द्राज करके सामग्री का वितरण किया जाना चाहिए था। संचिका मे किसी तकनीकी पदाधिकारी द्वारा क्रय की गई सामग्री की गुणवत्ता जॉच, संख्या की जॉच संबंधी किसी प्रकार का प्रमाण नहीं था। नियमानुसार भंडार पंजी में सामग्री की मात्रा का उल्लेख करते हुए इन्द्राज किया जाना चाहिए था।

3. लाईटों को जलाने हेतु विद्युत विभाग से कनेक्शन लिया गया अथवा नहीं इसका उल्लेख नहीं पाया गया।

4. आपूर्तिकर्ता द्वारा बिल में VAT 15%= 274500 की कटौती किया जाना चाहिए था जबकि रू0 146400 की कटौती की गई थी। जिसके कारण रू0 128100 की कम कटौती की गई थी।

5. आपूर्तिकर्ता द्वारा सामग्री का दिया गया बिल नगर परिषद द्वारा पारित नहीं किया गया था।

जवाब में बताया गया कि क्रय करने वक्त इन बातों का ध्यान रखा जायेगा।

कंडिका सं0–06 डस्टबीन के क्रय में अनियमितता राशि रू 39.92 लाख

नगर परिषद, खगड़िया द्वारा स्वच्छता अनुदान / 14वीं वित्त एवं अन्य मद में उपलब्ध राशि से ठोस अवशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत सफाई कार्य से जुड़ी सामग्रियों के क्रय करने का निर्णय सशक्त स्थायी समिति की बैठक दिनांक 06.01.2016 के प्रस्ताव सं0 अन्याय (iii) में स्वीकृति दिया गया था। दिनांक 12.03.16 को प्रभात खबर एवं दिनांक 13.03.16 को हिन्दुस्तान में इसकी प्रकाशन की गई। जिसमें शर्तों के आधार पर कंपनी अथवा कंपनी द्वारा प्राधिकृत विक्रेता दिनांक 15.03.16 को क्रय समिति के समक्ष खोला गया।

तकनीकी बीड का तुलनात्मक विवरणी निम्न प्रकार था:-

Arya corporation Sahid Ram Govind singh path, Jay prakash Nagar, Patna-800001	Quality Enviro Engineers Plot no. 67, SFD, Vikram Enclave, Shalimar Garden, Ghaziabad-201005
Wild Waste Bin 240 Liter Rs- 11975	240 Liter two wheeled (Yellow) Rs 14813 240 Liter two wheeled (green) Rs. 15700

उपरोक्त दर निविदा में न्यूनतम दर Arya corporation द्वारा मो0 11975 प्रति अदद की दर को तुलनात्मक अध्ययन के पश्चात तकनीकी विशिष्टयों एवं न्यूनतम दर के आधार पर स्वीकृत किया गया था। स्वीकृत दर पर 300 अदद दिनांक 23.04.16 को आर्या कारपोरेशन आपूर्ति किया गया था। जिसका आपूर्तिकर्ता द्वारा Bill No. 002/2016-17 में निम्न प्रकार दिया गया था।

Description	Unit	Price	Amount
Wheeled waste Bin-240 liter Model CBRW 24-04	300	11404	3421428
		VAT 5%	171071
			3592499

जिसका भुगतान निम्न प्रकार किया गया था।

Bill Amount	3592500
5% S.D.	179625
5% Vat	171071
2% I.T.	71850
Payment	3169954
14 FC-Cheque NO. 077023 नागरिक सुविधा स्वच्छता अनुदान Cheque no.-451894	388688 2781266

कुल 300 अदद डस्टबीन क्रय के एवज में राशि रू 3169954 आपूर्तिकर्ता को भुगतान किया गया था।

351

लेखापरीक्षा टिप्पणी

1. वित्तीय नियमावली के नियम 131 (ज) (V) के अनुसार बोली समर्पित करने की न्यूनतम अवधि प्रकाशन की तिथि से 3 सप्ताह की होनी चाहिए। परिषद कार्यालय द्वारा अखबार में निविदा का प्रकाशन (N.I.T) दिनांक 13.03.16 को करवाकर दिनांक 15.03.16 को निविदा प्राप्ति की तिथि निर्धारित की गयी जो तय 3 सप्ताह से काफी कम था। अतएव निविदा प्रकाशन एवं प्राप्ति के बीच पर्याप्त समय नहीं दिया गया था। जो वित्तीय नियमों का उल्लंघन था।

2. वित्तीय नियमावली के नियम 133 (2) एवं 133 (3) के अनुसार कार्यालय द्वारा सामग्रियों की गुणवता की जॉच, उसकी मात्रा अथवा संख्या को भलीभॉति गिनकर स्थायी भंडार पंजी में इन्द्राज करके सामग्री का वितरण किया जाना चाहिए था संचिका में किसी तकनीकी पदाधिकारी द्वारा क्रय की गई सामग्री की गुणवता जॉच, संख्या की जॉच संबंधित किसी प्रकार का प्रमाण नही था। नियमानुसार भंडार पंजी में सामग्री की मात्रा का उल्लेख करते हुए इन्द्राज किया जाना चाहिए था लेकिन स्थायी भंडार का संधारण परिषद कार्यालय द्वारा नहीं किये जाने के कारण भंडार पंजी में इन्द्राज नही किया जा सका। उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि सामग्री के क्रय में वित्तीय नियमों की अवहेलना की गई थी।

3. शर्तों संख्या 20 — कोटेशनदाता द्वारा उद्धृत दर सभी कर सहित होना चाहिए। नियमानुसार सभी प्रकार के करों की कटौती करते हुए भुगतान की जायेगी परन्तु आपूर्तिकर्ता द्वारा Bill में 5% VAT की कटौती राशि रू 171071 किया गया था जबकि आपूर्तिकर्ता द्वारा वैट जमा से संबंधित फार्म सी–3 उपलब्ध नही कराया था जिसके कारण आपूर्तिकर्ता द्वारा की गई कटौती राशि रू 171071 का अधिक भुगतान किया गया था।

4. डस्टबीन का उपयोग किस स्थान पर किया गया इसकी उपयोगिता संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न नही था।

जवाब में बताया गया कि क्रय करने वक्त इन बातों का ध्यान रखा जायेगा।

कंडिका सं0–07 मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन शुल्क की राशि वसूल नहीं किये जाने के कारण राजस्व की क्षति राशि रू 12.22 लाख

सचिव सह महानिबंधक के पत्रांक संख्या 589 दिनांक 15.03.2005 के आलोक में बन्दोबस्ती करने से पूर्व बन्दोबस्ती राशि पर 3% की दर से दिए मुद्रांक शुल्क मुद्रांक के रूप में बन्दोबस्ती करने वाले से लेकर उसी पर बन्दोबस्ती की शर्त लिखकर बन्दोबस्ती किया जाना है, जो वर्ष 2014–15 के लिए लागू था।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग (पत्रांक 05/सै0–1–बेतिया–77/2015–1109 (5)/रा0 दिनांक 17.08.2015) बिहार सरकार के द्वारा यह निर्देशित किया गया कि वर्ष 2015–16 से किये जाने वाले बन्दोबस्ती की राशि के कमशः 05 प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क एवं निबंधन शुल्क की राशि अलग– अलग ली जायेगी।

नगर परिषद खगड़िया के वर्ष 2014–15 से 2016–17 तक के बन्दोबस्ती से संबंधित संचिका जॉच में पाया गया कि स्टॉम्प शुल्क एवं निबंधन शुल्क की राशि वसूली नही की गयी थी जिसके कारण सरकार को राजस्व की क्षति हुई जिसकी विवरणी निम्न प्रकार है:–

वर्ष 2014--15

		वर्ष 2014--15	वर्ष 2015--16	वर्ष 2016--17
क0सं0	बन्दोबस्ती का नाम	बन्दोबस्ती की राशि एवं बन्दोस्तधारी का नाम एवं पता	बन्दोबस्ती की राशि एवं बन्दोस्तधारी का नाम एवं पता	बन्दोबस्ती की राशि एवं बन्दोस्तधारी का नाम एवं पता
01	मांस मछली बाजार	9 लाख, चन्दन कुमार पिता का नाम श्री बादल यादव, मानसी खगड़िया	10.36 लाख, श्रीमति गुड़िया देवी, माल गोदाम रोड, वार्ड नं0 02 खगड़िया	10.52 लाख श्रीमति गुड़िया देवी, माल गोदाम रोड, वार्ड नं0 02 खगड़िया
02	बस स्टैण्ड बलुआही	30.21 लाख, श्री नित्यानन्द कुमार, पिता श्री जनार्दन प्रसाद, वार्ड सं0--05 खगड़िया	34.77 लाख, श्री चन्दन कुमार, पिता श्री भुपेन्द्र प्रसाद सिंह, वार्ड सं0--24 खगड़िया	34.86 लाख, श्री चन्दन कुमार, पिता श्री भुपेन्द्र प्रसाद सिंह, वार्ड सं0--24, खगड़िया
03	मालवाहक वाहन प्रवेश शुल्क	21.75 लाख, श्री चन्दन कुमार, पिता श्री निरंजन सिंह, जयप्रकाश नगर, खगड़िया	12.82 लाख, नन्दकिशोर कुमार, वार्ड सं0--12, हाजीपुर खगड़िया	45.12 लाख श्यामसुन्दर यादव, पिता श्री विरेन्द्र यादव, हाजीपुर, खगड़िया
	योग	60.96 लाख	57.95 लाख	90.50 लाख

क0सं0	वर्ष	बन्दोबस्ती की कुल राशि	निबंधन शुल्क की राशि	स्टॉम्प शुल्क की राशि
01	2014--15	60.96 लाख	--	182880 @ 3%
02	2015--16	57.95 लाख	289750 @ 5%	289750 @ 5%
03	2016--17	90.50 लाख	452500 @ 5%	452500 @ 5%
			742250	925130
		घटाव सिर्फ वर्ष 15--16 एवं 16--17 स्टाम्प शुल्क की वसूल की गयी राशि (3%)	0	(--) 445350
		योग	742250	479780

उपर्युक्त आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि परिषद कार्यालय द्वारा बन्दोबस्तधारी से स्टॉम्प शुल्क एवं निबंधन शुल्क के रूप में राशि रु 1222030 (742250+ 479780) वसूली नही करके सरकारी राजस्व की क्षति पहुचाई गयी जो संबंधित दोषी व्यक्तियों से वसूलनीय है।

जवाब में बताया गया कि राशि की वसूली की जायेगी।

कंडिका सं0--08 मार्गदर्शिका के विपरीत पंचम वित्त आयोग की राशि का अनियमित व्यय राशि रू 11.82 लाख

नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार सरकार के संकल्प (ज्ञापांक संख्या 6261 दिनांक 14.09.16) द्वारा यह निर्देश दिया गया था कि वित्तीय वर्ष 2015--16 में स्थानीय निकायों को आवंटित का व्यय निम्न प्रकार किया गया जायेगा।

आवंटित राशि का 30 प्रतिशत राशि "मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना" एवं 20 प्रतिशत राशि "मुख्य मंत्री शहरी नाली--गली पक्कीकरण निश्चय योजना" पर व्यय किया जायेगा। शेष 50 प्रतिशत राशि का व्यय नगर निकायों के कर्मियों के बकाया वेतन पर भुगतान पर किया जायेगा। इसके अलावा प्राप्त Devolution की राशि का उपयोग उनके वेतन एवं सेवानिवृति लाभों के बकाये के अतिरिक्त स्वच्छता ठोस कचरा प्रबंधन एवं विद्युत विपत्रों के भुगतान पर किया जायेगा।

नगर परिषद खगड़िया के वर्ष 2014--15 से 2016--17 तक योजनाओं की नमूना जाँच (अगस्त 2017) में पाया गया कि पंचम वित्त आयोग से वार्ड नं0 20 अंतर्गत परमानन्द सिंह के घर से डॉक्टर दिलीप कुमार गुप्ता के घर होते हुए एम0जी0 मार्ग रोड तक पी0सी0सी0 सड़क निर्माण का निर्णय लिया गया। इस

349

संबंध में नगर परिषद बोर्ड की बैठक (दिनांक 25.07.15) के प्रस्ताव संख्या अन्यान्य (xiii) में इस योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी। प्राक्कलन रू 1184709 की तकनीकी स्वीकृति कार्यपालक अभियन्ता जिला शहरी विकास अभिकरण खगड़िया द्वारा दिनांक 27.02.15 को दी गयी। समाचार पत्रों मे विज्ञापन के आधार पर निविदा आमंत्रित की गयी जिसमें निम्नतम निविदा दाता श्री नन्द किशोर कुमार घोष को सफल घोषित करते हुए कार्यादेश (ज्ञापांक 755 दिनांक 02.05.16) निर्गत किया गया एवं कार्य को कार्यादेश की तिथि से 45 दिन के अन्दर कार्य को पूर्ण करने के लिए कहा गया। कार्य में रू 1182495 का व्यय करते हुए 06.06.2016 को कार्य पूर्ण कर दिया गया। कार्य में करों की आवश्यक कटौती (रू 179179.00) के उपरान्त संवेदक को रू 1003363.00 (चेक संख्या ए--487556 दिनांक 21.09.16) भुगतान किया गया। उपर्युक्त आंकडों से स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार द्वारा पंचम वित्त आयोग से संबंधित दिये गये दिशानिर्देशो की अवहेलना करते हुए राशि रू 11.85 लाख मूल्य का सड़क निर्माण की योजना ली गयी एवं उस पर रू 11.82 लाख का व्यय किया गया जो अनियमित था।
जवाब में बताया गया कि भविष्य में इसका ध्यान रखा जायेगा।

कंडिका सं0-- 09 अभिलेखों का अप्रस्तुतीकरण

कार्यालय नगर परिषद, खगड़िया के लेखा--परीक्षा के दौरान बार-- बार लिखित एवं मौखिक रूप से मॉग किए जाने के बावजूद भी निम्न अभिलेखों/पंजियों एवं सूचना लेखा--परीक्षा मे उपलब्ध नहीं कराया गया जिसके कारण लेखा--परीक्षा में जाँच नहीं की जा सकी।

1. मॉग एवं वसूली पंजी (सम्पत्ति कर)
2. वाद पंजी
3. वेतन पंजी
4. सरकारी भवनों का होल्डिंग टैक्स मांग एवं वसूली पंजी
5. दैनिक मजदूरों के भुगतान से संबंधित पंजी
6. ट्रेड लाईसेंस संचिका, रजिस्टर
7. विज्ञापन शुल्क से संबंधित संचिका
8. परिसम्पत्ति पंजी
9. पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन
10. सेवा पुस्तिका एवं व्यक्तिगत पंजी
11. नियुक्ति संबंधित संचिका
12. नक्शा पारित होने संबधित रजिस्टर
13. बैंक समाधान विवरणी
14. वर्ष 2014--15 का अनुदान पंजी
15. सरकार द्वारा स्वीकृत पद संबंधित पत्र
16. भंडार पंजी (विविध रसीद एवं सामग्री क्रय एवं स्थायी परिसम्पत्ति पंजी)
17. कोषागार प्रेषण पंजी
18. मार्च 16 एवं मार्च 17 का व्यय अभिश्रव
19. 2014--15 से 2016--17 तक का सभी मदों का आय--व्यय विवरणी
20. दुकान किराया का मांग एवं वसूली पंजी तथा दुकान आवंटन से संबंधित संचिका
21. कोषागार निकासी संबंधित बिल बुक
22. संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों नियुक्ति एवं वेतन से संबंधित संचिका
23. रोकड़बही स्वच्छ भारत मिशन
24. रोकड़ बही विविध
25. रोकड़ बही सभी के लिए आवास योजना
26. दिनांक 01.04.2015 से पूर्व का सामान्य रोकड़ बही।
27. विज्ञापन रसीद को कर संग्राहक रोशन कुमार के नाम रसीद सं0-51 से 100
28. वार्षिक लेखे 2014--15 से 2016--17

जवाब में बताया गया कि अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

कंडिका सं0– 10 सफाई कार्य के आउटसोरसिंग में अनियमित भुगतान रू0 69.82 लाख

गैर सरकारी संगठन 'समन्वय' को वार्ड सं0–12,17,21,22,23 में सफाई कार्य हेतु निविदा के माध्यम से चयन किया गया था तथा दिनांक 01.06.13 को श्री रविश चन्द्र, सचिव, समन्वय तथा नगर परिषद्, खगड़िया के मध्य एकरारनामा संपन्न किया गया। उक्त कार्य के लिये अनुबन्ध दिनांक 01.06.2013 से 31.05 2014 के लिये था। सशक्त स्थाई समिति की बैठक दिनांक 21.05.2014 के प्रस्ताव संख्या 3 के आलोक में पत्रांक 924 दिनांक 23.05.2014 द्वारा उक्त संगठन को उपरोक्त वार्ड की सड़क, नाला की सफाई कार्य तथा प्रत्येक घर से कूड़ा उठाव हेतु दो वर्षो के लिये अवधि विस्तारित करते हुये दिनांक 29.05.2014 को पुनः एकरारनामा किया गया जिसकी अवधि 01.06.2014 से 31.05.2016 थी। संचिका के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि दिनांक 25.05.2016 के बोर्ड की बैठक में पारित प्रस्ताव के आलोक में दिनांक 19.09.2016को पुनः एकरारनामा किया गया तथा सफाई कार्य हेतु उक्त संस्था का अवधि विस्तारित कर दिनांक 31.05.2017 कर दिया गया। बोर्ड की बैठक में लिये गये निर्णय की प्रति संचिका में नहीं पायी गई। संस्था को सफाई कार्य हेतु वर्ष 2013 में निविदा में स्वीकृत दर रू0 199500/– प्रतिमाह की दर से भुगतान किया जाता रहा है।

अंकेक्षण अवधि में कुल राशि रू0 6982500 का भुगतान किया गया था। भुगतान का विवरण निम्न है–

क्र0सं0	चेक सं0	दिनांक	राशि	आयकर कटौती	कुल व्यय	माह
1	487105	20.06.2014	199500	0	199500	अप्रैल 2014
2	487118	14.07.2014	399000	0	399000	मई–जून 2014
3	487148	26.08.2014	199500	0	199500	जुलाई 2014
4	487155	24.09.2014	199500	0	199500	अगस्त 2014
5	487182	14.11.2014	399000	0	399000	सितम्बर–अक्टूबर 2014
6	960274	30.12.2014	195510	3990	199500	नवम्बर 2014
7	960280	29.01.2015	195510	3990	199500	दिसम्बर 2014
8	962904	04.02.2015	195510	3990	199500	जनवरी 2015
9	962912	01.08.2015	558600	11970+ 27930 (अप्रैल–अक्टूबर 14)	598500	फरवरी–अप्रैल 2015
10	962915	26.08.2015	586530	11970	598500	मई–जुलाई 2015
11	491270	05.12.15	586530	11970	598500	अगस्त–अक्टूबर 2015
12	451287	30.01.16	391020	7980	399000	नवम्बर–दिसम्बर 2015
13	451288	25.02.16	195510	3990	199500	जनवरी 2016
14	451290	19.03.16	195510	3990	199500	फरवरी 2016
15	451293	31.03.16	195510	3990	199500	मार्च 2016
16	451888	30.04.16	195510	3990	199500	अप्रैल 2016
17	072236	19.07.16	195510	3990	199500	मई 2016
18	072265	08.09.16	586530	11970	598500	जून –अगस्त 2016
19	077033	30.09.16	195510	3990	199500	सितम्बर 2016
20	072293	26.12.16	391020	7980	399000	अक्टूबर–नवम्बर 2016
21	072327	10.03.17	586530	11970	598500	दिसम्बर–फरवरी 2016
		कुल	**6842850**	**139650**	**6982500**	

अंकेक्षण टिप्पणी

1. बिहार वित्तीय नियमावली, 2005 के नियम 131 (ख) के अनुसार सेवा को बाह्य स्रोत से प्राप्त करने हेतु दस लाख रू0 से अधिक आकलित मूल्य वाले कार्य या सेवाओं के लिये विभाग को निश्चित तिथि एवं समय पर प्रस्ताव मांगने के लिए कम से कम एक, अधिक प्रसार वाले राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र तथा विभाग के वेबसाईट में विज्ञापित निविदा निर्गत करनी चाहिए। प्रस्ताव उचित, पारदर्शी एवं युक्तिसंगत प्रकिया से आमंत्रित किये जाने चाहिये। लेकिन संचिका के अवलोकन में ज्ञात हुआ कि एक ही संगठन 'समन्वय' को निविदा की अवधि समाप्त होने के बाद भी बिना निविदा के बार –बार अवधि विस्तार दिया जाता रहा। जिससे नगर परिषद् प्रतिस्पर्द्धी दरप्राप्त करने से वंचित रहा। अतः वित्तीय नियमावली की